सं0-40/2021/आई/72925/2021/23-12099/1122/2020-12

प्रेषकः

अभय कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ, दिनांक 23 जून, 2021**

विषय-इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में निर्माणाधीन शारदापुरी बाजार घाट रोड से टिल्ला नं0-4 (बार्डर पिलर नं0-42 से 36) मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1168आई0एन0बी0/08आई0एन0बी0/2013, दिनांक 24.02.2021 तथा भारत सरकार के पत्रांक- ADG(B)/HLEC49/2020-21/40-E, दिनांक 11.02.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1024/23-12-2013-2(इण्डो-नेपाल)/2011टी0सी0 दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कार्यों हेतु स्तम्भ-5 में उल्लिखित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विभिन्न् कारणों से उक्त कार्यों की लागत में परिवर्तन / वृद्धि होने के कारण वर्क डन तथा वर्क टू बी डन के आधार पर उक्त कार्यों के पुनरीक्षित आगणन गठित कराते हुए पत्र संख्या-114/23-12-2020-2(इण्डो-नेपाल)/2011टीसी, दिनांक 17.02.2020 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार में आयोजित उच्च स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2021 में अधोतालिका में अंकित कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 11.95 करोड़ (रूपये ग्यारह करोड़ पंचानवे लाख मात्र) पर प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में श्री राज्यपाल उक्त कार्य की अधोतालिका के स्तम्भ-6 में उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	मार्ग का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5	6
1	जनपद पीलीभीत में निर्माणाधीन शारदापुरी बाजार घाट रोड से टिल्ला नं0-4 (बार्डर पिलर नं0-42 से 36) मार्ग (L-2.80 Km & 01 Minor Bridge)	ADG(B)/HLEC49/2020-21/40-E, दिनांक 11.02.2021	2.80	20.0326	11.95

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) सेंटेज चार्ज/ अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही भुगतान/ जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर कार्यदायी संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(12) उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) उक्त कार्यों पर मार्ग निर्माण पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा एवं भूमि अध्याप्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग अनापत्ति प्राप्त करने के क्रम में किये जाने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(15) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8/1178120/दस-2021, दिनांक 21 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
10- लोक निर्माण अनु0-10
11- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in